कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती सीमा खण्डेलवाल, प्रधानाचार्य, राजकीय राजेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाडगंज, अजमेर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सालरिया कलां, बनेडा जिला भीलवाड़ा किया गया था जिसके विरूद्ध सीमा खण्डेलवाल द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 759/2020 सीमा खण्डेलवाल बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 759/2020 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2020 द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन दिनांक 31.08.2020 तक पेश करने एवं उक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसे आगामी 15 दिवस में एक सकारण आख्यात्मक आदेश प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने के आदेश प्रसारित किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय की अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपने पुत्रों के सिलियक एवं थायरॉइड, पति के मधुमेह रोग से ग्रस्त होने एवं सास की वृद्धावस्था के आधार पर अपना पदस्थापन अजमेर जिले में राउमावि गुलाबबाडी/माखुपुरा/राबाउमावि रामगंज/राउमावि नलू किशनगढ/बेगलियावास, अजमेर में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 जो पूर्व के समस्त दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण में जारी किये गए हैं, के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों, पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता, शहीद की वीरांगना से प्राप्त आवेदनों में रिक्त पद पर प्राथमिकता से स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश प्राप्त थे। उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री/सास–ससुर अथवा अन्य परिजनों के आधार पर किसी प्रकार का कोई अनुतोष देय नहीं है।

अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है जो कि एक राज्य सेवा का पद है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं विद्यार्थी हित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवा विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा की एक सामान्य घटना होती है एवं स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है। अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने पर किसी कार्मिक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता। अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। अपीलार्थी को समीपवर्ती भीलवाडा जिले में ही स्थानान्तरित किया गया है, किसी दूरस्थ स्थान पर नहीं। विभागीय आक्षेपित आदेश दिनांकः 29.09.2019 की अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण भी कर लिया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का सम्पूर्ण विश्लेषण करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलार्थी श्रीमती सीमा खण्डेलवाल, प्रधानाचार्य राउमावि सालरिया कलां, बनेडा जिला भीलवाड़ा द्वारा की गई पदस्थापन संशोधन की मांग उचित नहीं है। अतः इनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/सीमा खण्डेलवाल/759/2020 दिनांकः 04.09.2020

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, भीलवाड़ा।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सीमा खण्डेलवाल, प्रधानाचार्य राउमावि सालरिया कलां जिला भीलवाड़ा।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)